International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 11 Issue 02, February 2021
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्राचीन भारतीय समाज में सती प्रथा का उद्भव एवं विकास:एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. घनश्याम दुबे , सहायक प्राध्यापक
इतिहास विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर,(छत्तीसगढ़)

अभिषेक कुमार तिवारी , सहायक प्राध्यापक (तदर्थ)
इतिहास विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर,(छत्तीसगढ़)

प्रस्तावना

हमारे सभ्य भारतीय मानवीय इतिहास की कुछेक सबसे बड़ी कुरीतियों में से एक कुरीतिथी–'सती प्रथा'।सती प्रथा भारतीय समाज में एक कलंक के रूप मेंलंबेसमयतक विद्यमान रहीहै ।विशेषकर भारतीय पूर्वमध्यकालीन समाज से लेकर प्रारंभिक आधुनिक कालीन भारतीय समाज में इस प्रथा का प्रभाव कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ता है।सती प्रथा का भारतीय समाज में उद्भव कब,क्यों,कैसे तथा किन परिस्थितियों में हुआ?इस संबंध में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है।इस प्रथा का समाज के विभिन्न वर्गों में विकास किसी एक निश्चित कालखंड में ना होकर विभिन्न काल खंडों में हुआ।अध्ययनों से यह स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है कि सती प्रथा प्रारंभ में सर्वमान्य तथा लोकप्रिय ना होकर कतिपय विशिष्ट कुलो या राजघरानों तक ही सीमित था लेकिन परवर्ती काल में इस प्रथा का समाज के अन्य वर्गों द्वारा भी अनुकरण किया जाने लगा।प्रस्तुत शोध पत्र में प्राचीन भारतीय समाज में सती प्रथा के प्रचलन के सम्बन्ध में एक सूक्ष्म समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है ।

शब्द कुंजी : सती, जौहर , प्रथा ,प्रचलन , स्त्री, नारी , चिता

प्राचीन समाज में सती प्रथा के विषय में विभिन्न धारणाये तथा उसके विभिन्न स्वरूप

'सती' शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है- 'सत्व पर स्थिर रहने वाला' अर्थात सती शब्द पवित्रता का पर्याय है ।सती शब्द की अभिव्यक्ति के लिए प्राचीन धार्मिक साहित्य में अलग-अलग कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है ।जैसे-'अन्वारोहण'(मृत पति के साथ चीता पर चढ़ना),'सहमरण'(मृत पति के साथ मरना), 'सहगमन'(मृत पति का अनुगमन करना), अनुमरण(प्रवास में रह रहे पति की मृत्यु का समाचार मिलने के पश्चात स्त्री अपने पति के किसी वस्तु के साथ जलती थी) ।

प्राचीन भारतीय मानव समाज में इहलोक तथा परलोक की धारणा व्याप्त थी,जिसके कारण लोगों में यह विश्वास प्रचलित था कि यह इहलोक को छोड़कर (अर्थात मृत्यु के बाद) परलोक जाने के बाद भी,मनुष्य कोइहलोक में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं की आवश्यकता परलोक में भी पड़ती है।जिसके कारण लोग मृतकों के साथ-साथ उसके दैनिक उपयोग की सभी आवश्यक वस्तुओं को भी दफनाते थे।किसी राजा अथवा कुलीन व्यक्ति के मरने पर यह समझा जाता था कि उसके साथ उससे संबंधित सभी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ-साथ उसकी पत्नी,अश्व,नौकर आदि को भी उसके साथ दफनाया जाए ताकि यह उसे पारलौकिक जगत में भी सुख प्रदान कर सकें।शायद,इसी विश्वास ने सती प्रथा के उद्भव में योगदानदिया,जिसमें मृतक के साथ उसकी पत्नी को जलाया जाता था।सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन विश्व के अनेक देशों में था।मिस्र के विश्वविख्यात पिरामीडो में वहां के मृत राजाओं के साथ उनकी प्रिय जीवित रानियां और परिचारिकाए,विभिन्न उपयोगीसमानो के साथके साथ दफना दी जाती थी,ताकि परलोक में भी मृत आत्मा को सुख प्रदान कर सकें।मृत पति के साथ पत्नी द्वारा प्राणोत्सर्ग करने की प्रथा मिस्र के अतिरिक्तस्लाव,रोम,यूनान आदि देशों में भी प्रचलित थी।[1]

सती प्रथा का उद्भव व इसका सिंधु सभ्यता तथा ऋग्वैदिक काल में प्रभाव

प्राचीन भारत में सती प्रथा के उद्भव के संबंध में इतिहासकारों केभिन्न - भिन्न मत हैं तथापि सती प्रथा के प्रारंभ को मध्य एशिया के साथजोड़कर देखा जाता है ।भारत में आगमन के पूर्व से ही भारोपीय - आर्य विधवाओं के अपने मृत पति के साथजलकर मरने की प्रथा से अवगत थे ।[2]इसके पूर्व हड़प्पा सभ्यता के दो स्थलों लोथल तथा कालीबंगा से युगल शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे इतिहासकार राव सती प्रथा का द्योतक मानते हैं, लेकिन यह निष्कर्ष कल्पनाओं पर आधारित एक संदिग्ध निष्कर्ष है ।जिसका पहला कारण तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों में कहीं से भी युगलशवाधान के उदाहरण नहीं मिलते। दूसरा कारण ये कि लोथल से तीन तथा कालीबंगा से केवल एक युगल शवाधान मिलते हैं इसके अलावा इन दोनों स्थलों से भी अन्य कोई युगल शवाधान के साक्ष्य नहीं मिलते।यदियुगल शवाधानको ही सती प्रथा का प्रमाण माने तो इस प्रकार के युगल शवाधान अन्य हड़प्पा कालीन स्थलो सेभी प्राप्त होने चाहिए । लोथल तथा कालीबंगा से मिलने वाले युगल शवाधान मात्र एक संयोग हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं ।

भारोपीय जातियों में सती प्रथा का प्रचलन शायद पहले से ही रहा हो लेकिन भारत में प्रवेश करने के बाद उनमें सती प्रथा के प्रचलन के प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं ।ऋग्वेद (अथवा अवेस्ता) में सती प्रथा का उल्लेख कहीं भी नहीं है। हालांकि ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक ऋचा में कहा गया है कि स्त्री अपने मृत पति के शव के साथ लेटती है, तत्पश्चात उसे संबोधित किया जाता है,'नारी उठो, पुनः इस संसार में आओ'।[3]इस ऋचा को आधार मानकर कुछ विद्वान ऐसा स्वीकार करते हैं कि ऋगवैदिक काल में सती प्रथा विद्यमान थी । अथर्ववेद में ऐसा वर्णन मिलता है कि, अपने मृत पति के साथ विधवा नारी चिता पर आरोहण करती है और फिर उसके बाद चिता से उतर आने का आग्रह उसके संबंधियों द्वारा किया जाता है ।[4]तैतरीय अरण्यक में मृत पति की चिता से उठकर आई विधवा का आगामी जीवन सुखमय होने की इच्छा व्यक्त की गई है ।[5]इन सीमित और प्रतीकात्मक साक्ष्यों के आलोक में वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन कदापि नहीं माना जा सकता है । वैदिक समाज में बहुत सारी रीतियाँ केवल प्रतीकात्मक रूप मेंप्रचलित थी, जिसका वास्तविक अर्थ कुछ अलग ही होता था । इसके अलावा वैदिक समाज में नियोग प्रथा के प्रचलन के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । नियोग प्रथा में एक नियम यह भी था कि यदि किसी महिला के पति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह महिला केवल संतानोत्पत्ति के लिए अपने देवर या अन्य किसी सम्मानित पुरुष द्वारा गर्भ धारण कर सकती हैं । अर्थात यह स्पष्ट होता है कि पति की मृत्यु के बाद भी महिलाएं जीवित रहती थी ।ऋग्वेद के किसी भी ऋचा में सती शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, ना ही इस पूरे ग्रंथ में कहीं भी किसी स्त्री के जलकर मरने का कोई प्रमाण मिलता है ।इसके साथ-साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए किऋगवेद के दसवें मंडल (जिसमें यह कहा गया है कि स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता पर लेटती है)को वैदिक काल के बहुत बाद में जोड़ा गया है । इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि वैदिक समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था तथा विधवा विवाह द्वारा स्त्री पुनः अपना घर बसाती थी ।

सूत्र काल तथा पुराणों में सती प्रथा

ब्राम्हण साहित्य तथा बौद्ध साहित्य में भी सती प्रथा का कोई वर्णन नहीं मिलता है । यद्यपि केवल आपतस्तम्ब धर्मसूत्र में यह उल्लेख है कि मृत पति का भाई या उसका शिष्य या कोई दास विधवा स्त्री को शमशान से घर वापस ले आता था ।[6] लेकिन इस उल्लेख में भी वैदिक साहित्य की तरह केवल प्रतीकात्मक सती प्रथा की चर्चा है, न कि उसके व्यवहारिक पक्ष का । इसी उद्धरण से भी तत्कालीन युग में सती प्रथा का प्रचलन प्रमाणित नहीं होता है । भारत में सती प्रथा का पहला स्पष्ट साहित्यिक साक्ष्य चौथी सदी ईस्वी पूर्व में उत्तर - पश्चिम सीमा प्रांत के जनपदों से मिलता है । सिकंदर के आक्रमण के समय इन जनपदों की स्त्रियां संभवतः जौहर व्रत ग्रहण कियाथा । गांधार तथा कठ जनपदों में इस प्रथा के प्रचलन का उल्लेख ग्रीक - विवरणों में है ।[7] स्ट्रैबो के अनुसार, तक्षशिला की स्त्रियां अपने मृत पति के साथ चिता में जल मरती थी ।[8] अन्य ग्रीक लेखकों के ग्रंथों में भी उत्तर - पश्चिमी भारतीय सीमा प्रांतों की स्त्रियों द्वारा 'जौहर व्रत' ग्रहण कर प्राण - त्याग देने की प्रथा के अनेक संकेत मिलते हैं । कठ और आग्रेय जनपदों के वीर - पुरुष जब यवन आक्रंताओ के विरुद्ध रणक्षेत्र में लड़ते-लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी तो उनकी स्त्रियों ने 'जौहर व्रत' द्वारा अपने जीवन का अंत कर लिया था ।[9] ग्रीक ग्रंथों में पश्चिम सीमा प्रांत के क्षेत्रों को छोड़कर किसी अन्य भारतीय क्षेत्रो में स्त्रियों द्वारा जौहर व्रत को ग्रहण करने का कोई उल्लेख नहींमिलता है । इसके बाद रामायण कथा महाभारत में सती प्रथा के कुछ अंश दिखलाई पड़ते हैं। रामायण में वेदवती का उद्धरण आता है जिसने स्वतः अग्नि प्रज्जवलितकर स्वयं को जला लेती है।[10] रामायण में सीता ने भी एक जगह अपने पति के साथ जलकर मरने की इच्छा व्यक्त की है।परंतु रामायण के यह दोनों उद्धरण प्रक्षेपक प्रतीतहोते हैं। रामायण काल में ही ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इस काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था।जैसे - राजा दशरथ और रावण के मरने के बाद उनकी पत्नियां सती नहीं हुई थी। महाभारत में उल्लेख है कि महाराज पांडु के मरने पर उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी।[11] कृष्ण के पिता वासुदेव के मरने पर उनकी पत्नियों ने सहमरण किया था।[12] महाभारत के शांति पर्व में एक कपोत – कपोती की कथा दी गई है, जिसमें कपोत के मर जाने के बाद कपोती सती हो गई थी।[13] लेकिन महाभारत में ही ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां पति के मरने के बाद उनकी पत्नी सती नहीं बल्कि वह समाज में सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन करती है। अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां उनकी मृत्यु के बाद सती नहीं हुई थी।[14] इसी प्रकार हमें हजारों यादव - विधवाओं का उल्लेख मिलता है, जो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर गई थी। इन विवरणों से पता चलता है कि रामायण तथा महाभारत काल में सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन यह प्रथा सामाजिक जीवन में विशेष प्रभावशाली नहीं थी। इस काल में सती प्रथा बाध्यकारी नहीं थी, यह केवल स्त्री की इच्छा पर निर्भर थी।

मौर्य काल में भी स्त्रियों की स्थिति ठीक-ठाक थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा के प्रचलित होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मौर्यकाल के समकालीन धर्मशास्त्रों में सती प्रथा का विरोध किया गया है। इसके अलावा बौद्ध अनुश्रुतियो के साथ-साथ जैन अनुश्रुतियो में भी सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। मौर्यकाल में भी स्त्रियों को पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति थी। लेकिन ठीक इसके विपरीत पुराण काल के साहित्य में सती प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। विष्णु पुराण में वर्णन है कि कृष्ण के स्वर्गवास के बाद उनकी प्रथम आठोंपत्नियों ने उनके शव के साथ चीता में प्रवेश करती हैं, जिसमें रुकमणी प्रमुख थी।[15] कृत्यकल्पतरु में ब्रह्म पुराण का उद्धरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 'पति के मर जाने पर सत् - स्त्रियों के लिए यही एकमात्र गति है कि वेभी पति के शव के साथ चिता पर आरूढ़ हो जाएं। पति के वियोग से उत्पन्न होने वाली जलन के

शमन का अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि पति की मृत्यु किस देशांतर में हो जाए तो पत्नी को चाहिए कि उसकी पादुकाओ को अपने हृदय से लगाकर तथा पवित्र होकर अग्नि में प्रवेश करें।[16]

गुप्त काल व उसके परवर्ती काल में सती प्रथा का साहित्यों तथा अभिलेखों में उल्लेख

प्राचीन भारतीय इतिहास में (510 ई. से पूर्व तक) सती प्रथा के विषय में जानकारी के लिए हमें पूर्ण रूप से साहित्यिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें से अधिकतर साहित्य ग्रंथ ई.सन् अर्थात परवर्ती काल के हैं। सती प्रथा के विषय में 510ई. से पूर्व तक हमें कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानकारी के लिए प्रमुख आधार साहित्यिक ग्रन्थ ही हैं। गुप्त कालीन साहित्य में स्त्रियों की आदर्शमय चित्र प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति इस काल में दयनीय होना प्रारंभ हो गई थी। स्मृतियों में भी विधवा के लिए सती होना आदर्श माना गया है, लेकिन अनिवार्य नहीं। व्यास स्मृति में सती प्रथा को विधवा जीवन का सर्वोत्तम विकल्प स्वीकार किया गया है, जो स्वर्ग से भी अधिक महत्वशाली है।[17] विष्णु स्मृति[18] और बृहस्पति स्मृति[18] के लेखक विधवा के लिए सती होना आदर्श मानते हैं, किंतु सती होना अनिवार्य नहीं मानते है। इसी प्रकार वात्स्यायन, शुद्रक और कालिदास की कृतियों में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में उल्लेख किया है कि चतुर स्त्रियाँ(नर्तकियाँ) अपने प्रेमियों को सती होने का झूठा आश्वासन दिया करती थी।[20] अर्थात इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि उस काल में सती होना प्रेम में त्याग की धारणा का सबसे बड़ा सूचक याबलिदान की पराकाष्ठा रहा होगा, जिस कारण नर्तकियाँ सती होने का झूठा वादा अपने प्रेमियों से करती थी। कालिदास केकुमारसंभवम् में उल्लेख मिलता है कि रति कामदेव के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन एक आकाशवाणी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। कालिदास ने कुमारसंभवम् में सती प्रथा के लिए 'पतिवर्त्मगा'[21] शब्द का प्रयोग किया है। भास का नाटक दृत- घटोत्कच्छ औरउरभंग में वर्णन है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जयद्रथ की पत्नी दु:शाला और दुर्योधन की पत्नीपौरवी सती हुई थी। भास के नाटक का यह अंश ऐतिहासिक रूप से सत्य तो नहीं है क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार का कोई उद्धरण प्राप्त नहीं होता, लेकिन भास के नाटक का यह अंश तत्कालीन सामाजिक इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अंश से यह स्पष्ट पता चलता है कि तत्कालीन समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, जिसका महिमामंडन करने के लिए भास को अपने नाटक के पात्रों द्वारा सती प्रथा का पालन पवित्रता पूर्वक करते हुए दिखाया गया है। बृहस्पति तथा पराशर ऋषि का स्पष्ट मत है कि स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने के बाद वह स्त्री चाहे तो सन्यासिन का जीवन जी सकती है या सती हो सकती है, लेकिन अग्निपुराण में कहा गया है कि अगर कोई पत्नी पति के साथ स्वर्ग जाना चाहती है तो वह सती हो जाए।

सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य उत्तर गुप्त काल से प्राप्त होता है। गुप्त संवत 191(510ई.) का एरण अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र (सेनापति)गोपराज की हुणों के विरुद्ध युद्ध में मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी अग्नि में जल मरी थी।[22] यह शिलालेख एक स्मारक के रूप में स्थापित किया गया था। प्रारंभ में उत्तर भारत के योद्धा जातियों की विधवाओं में, अग्नि में जलकर मर जाने की प्रथा थी, जिसका उल्लेख स्ट्रेबो से लेकर कई अन्य यूनानी इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में किया है। बाद में यह प्रथा पंजाब के रास्ते मध्य भारत तथा पूर्वी भारत और नेपाल के उच्च वर्गों तक पहुंची।सती होने वाली स्त्रियों के साहस की प्रशंसा भी होती थी।[23] उत्तर भारत केकई राजघरानों तथा कुलीनों में पांचवीं शताब्दी के बाद से सती प्रथा के प्रचलन के कई उदाहरण मिलते हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु की संभावना मात्र पर ही उसकी पत्नी यशोमती ने 604ई. में अपने आप को अग्नि में जला दिया था।[24] इसी प्रकार अपने पति ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद राज्यश्री चिता बनाकर सती होने जा रही थी किंतु हर्ष ने उसे सती होने से बचा लिया था।[25] इसके अलावा गुप्त काल में किसी गुप्त रानी के सती होने का प्रमाण नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह वाकाटाकनरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय के मृत्यु के बाद भी विधवा प्रभावती गुप्त ने लंबे समय तक अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन भार संभाला। यह घटना लगभग तीसरी शताब्दी के अंत की है। अर्थात यदि साहित्यिक स्रोतों को ही आधार मानकर गुप्त काल में सती प्रथा का समाज में प्रचलन की व्याख्या करें तो दो निष्कर्ष तो स्पष्टया निकलते हैं - पहला यह कि सती प्रथा प्रारंभिक गुप्त काल में नहीं था इसका प्रचलन उतरवर्ती गुप्त काल में प्रारंभ हुआ होगा तथा दूसरा यह कि यह की, इस काल में स्त्रियों के लिए सती होना ऐच्छिक था न कि अनिवार्य।

प्रारंभिक मध्यकाल मेंउत्तर भारत के अन्य राज्यों तथा नेपाल से भी सती प्रथा के प्रचलन के विवरण प्राप्त होते हैं। जोधपुर से प्राप्त एक अभिलेख में उल्लेख है कि गुहिल वंश की दो रानियां चिता में जलकर सती हो गई थी।[26] घटियाला अभिलेख (जोधपुर)(810ई.) में राजपूत सामंत राणुक के साथ उसकी पत्नी सम्पलदेवी कासहगमन का उल्लेख है।[27] कल्हण कृत राजतरंगिणी में उल्लेख है कि शंकरवर्मन के मृत्यु के पश्चात उसकी मुख्य रानी सुरेंद्रवती के साथ तीन रानियां सती हो गई थी ।[28] कंदर्प सिंह की मृत्यु होने होने पर उसकी पत्नी सती हो गई थी।[29] नेपाल के एक अभिलेख में राजा धर्मदेव के मर जाने पर उसकी पत्नी राज्यवती के अग्नि में प्रवेश का उल्लेख है।[30] इन अभिलेखीय साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मध्यकाल में सती प्रथा का प्रचलन गुप्त काल के विपरीत राजकुल में भी हो गया था। उत्तर गुप्त काल और उसके बाद प्रारंभिक मध्यकाल तथा मध्य काल में भारत के अलग-अलग हिस्सों से हमें सती प्रथा के कई अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं ।

प्राचीन भारतीय कई विधिवेताओ तथा टीकाकारों ने सती प्रथा का समर्थन किया है तो वहीं कई विद्वानों ने इसका विरोध भी किया है। अंगिरस और हारीत ने सती प्रथा की प्रशंसा की है।हारीत ने उल्लेख किया है कि सती होने वाली स्त्री तीन कुलो को अर्थात माता,पिता तथा पति के कुलों को पावन कर देती है। विज्ञानेश्वर ने सती प्रथा को ब्राम्हण से लेकर चांडाल तक की स्त्रियों के लिए समान रूप से श्रेयस्कर माना है, किंतु गर्भावती तथा छोटे बच्चे वाली स्त्री को सती होने से रोका है।[31] कथासरित्सागर में भी ऐसी कथाएं विद्यमान हैं, जिसमें पत्नी का पति के शव के साथ चिता पर आरूढ़ हो जाने का वर्णन है।[32] इसके अलावा बाणभट्ट, मेधातिथि, देवणभट्ट आदि जैसे विधिवेताओं ने सती प्रथा का कठोर विरोध किया है। मेघातिथि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या कहां है।[33] मृच्छकटिकम् में भी सती प्रथा की भर्त्सना और निंदा की गई है।[34]

निष्कर्ष

प्राचीन भारतीय समाज का दायरा काफी विस्तृत था तथा यह समाज, सामाजिक चैतन्यता के साथ - साथ आध्यात्मिकरूप से भी काफी समृद्ध था। इस प्रकार के सर्वांगीण समृद्धशालीसमाज में सती प्रथा का प्रचलन असंभव सा लगता है। उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर लगभग छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक सती प्रथा के प्रचलन का कोई प्रमाणिक अभिलेख या साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं ।सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख न वैदिक साहित्य में है, न बौद्ध साहित्य में, न सूत्रग्रंथों में और ना ही विष्णुगुप्त कृत अर्थशास्त्र में है। यद्यपि रामायण और महाभारत में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह प्रकरण प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। इस प्रथा के प्रचलन का संभवत प्रारंभ यूनानी आक्रमण के समय में ही शुरू हुआ हुआ होगा, जिसका विवरण स्ट्रेबो देता है। लेकिन यह प्रथा उत्तर भारत के एक छोटे से क्षेत्र में थी न कि संपूर्ण भारत में। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उत्तर भारत के क्षेत्र में सभी स्त्रियां पति की मृत्यु के पश्चात पश्चात सती हो गई थी।स्मृतियों तथा धर्मसूत्रों में विधवाओं के लिए पुनर्विवाह का विधान किया गया है, इसके साथ-साथ विधवाओं के लिए ब्रम्हचर्य व्रत का पालन करने तथा ताप, नियम, संयम से जीवन बिताने का विधान किया गया हैऔर यह सब तभी संभव है जब समाज में विधवा स्त्रियाहो। अतः यहां यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय समाज में सती प्रथा का प्रचलन लोकप्रिय तथा बाध्यकारी ना होकर कुछ राजघरानों तथा कुलीन वर्गो तक ही सीमित था।पी. वी. काणेने यह उल्लेख भी किया है कि सती प्रथा के पीछे पौरोहितिक या धार्मिक दबाव नहीं था, जो स्त्रियां सती होने की अनिच्छुक थी वे सती नहीं होती थी।[35] प्रारंभिक गुप्त काल में भी सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। केवल उत्तर गुप्त काल में एक एरण अभिलेख प्राप्त होता है जिस पर एक सैनिक की पत्नी का आग में जलने का उल्लेख है। उत्तर गुप्त काल के बाद से समाज में सती प्रथा की परंपरा बढ़ती चली गई। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के पश्चात पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल में सती प्रथा के प्रचलन के कई प्रमाण मिलते हैं। एस.एस. अल्तेकर के अनुसार ब्राह्मणों में सती प्रथा 1000 ई. के बाद प्रारंभ हुई। प्रारंभ में यह प्रथा योद्धा जाति में थी। पथभ्रष्ट होने से बचाने तथा स्वर्ग में भी प्रिय पति से मिलने के लिए भी यह प्रथा प्रचलित थी।[36] गुप्तोत्तर काल के पश्चात सती प्रथा के प्रचलन का एक संगठित स्वरूप धीरे-धीरे समाज में आने लगा। अबुल फजल ने सती होने वाली स्त्रियों के कई प्रकरण बताए हैं। संबंधियों द्वारा सती होने के लिए बाध्य विधवायें,स्वेच्छापूर्वक सती होने वाली विधवाये, जनमानस की मांग पर सती होने वालीविधवाये तथा बलपूर्वक सती होने के लिए आग में डाल दी जाने वाली विधवाये थी।[37] प्राचीन भारतीय समाज के विपरीत मध्यकालीन भारतीय समाज में इस प्रथा का प्रचलन तेजी से हुआ तथा यह प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा के रूप में आधुनिक भारतीय समाज में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक अनवरत जारी रही हैं।

सन्दर्भ

1. श्रेदर, *प्रीहिस्टोरिक एंटीक्विटीज आफ आर्यन पीपल*, लंदन, 1889,पृ391।
2. पी.वी.काणे,*हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, वॉल्यूम-2*,पृ628 ।
3. ऋग्वेद 10 .18 .7 , 'इया नारीरविधवा:सपत्नीराजनेन सर्पिषा संविशन्तु ।

अनश्रवो नयीवा: सुरत्ना आरोहन्तु जनयोयोनिमग्ने ।।

वही,**10.18.7**'उदीर्ष्व नार्यभिजीव लोकं गतासुमेतमुपशेंष एहि ।

हस्ग्राभस्य दिधिषोस्तचैवं पत्युर्जेनित्वममिसवभूत ।।'

4. अथर्ववेद, 'इयं नारी पतिलोकं वृणानां निपद्यते उपत्या प्रेतम् ।

धर्मम् पुराणमनुपालयन्ति तस्मै प्रजां द्रविणं चेहधत् ।।

5. तैतरीय अरण्यक,1921. 6(1)।
6. श्रीकृष्ण ओझा, *प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास*,जयपुर,**1978,**पृ **311** ।
7. सत्यकेतु विद्यालंकर, *भारतीय इतिहास का पूर्व- मध्ययुग*, नई दिल्ली,**2011,**पृ **369** ।
8. जयशंकर मिश्र, *प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास*, पटना,**2006,**पृ **429** ।

9. सत्यकेतु विद्यालंकर, पुर्वोद्धृत ।

10. रामायण, **7.17.14** ।

11. महाभारत, आदिपर्व, 95**.65,** **'**तैत्रनं चिताग्निस्थं माद्री समन्वाहरोहा**'** ।

12. वही, मौसल पर्व**,17.7.8,24** ।

13. वही, शांति पर्व, **248.8,9** ।

14. ओमप्रकाश, *प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास*, नई दिल्ली, **2001,** पृ **229** ।

15. विष्णु पुराण**,5.38.2,'**अष्टौ महिष्य: कथिता रूक्मिणी प्रमुखास्तु या: ।उपयुहं हरेर्देह दिविशुस्ता हुताशनम् ।'

16. ब्रह्मपुराण से उद्धृत, कृत्यकल्पतरु, **634,** 'मृते भर्तरिसत्स्त्रीणां न चात्या विद्यते गति: ।नान्यद्धूर्तृ वियोगाग्निदाहस्य नमन् क्वचित् ।। देशान्तरमृते तस्मिन् साध्वी तत्पादुकाव्दयम् । निधायोरसि संशुद्धा प्रविशेच्चजातवेदसम् ।।'

17. यास स्मृति,2.53,'मृते भर्तरि या नारी समारोहेदधुताशनम् । सा भवेत् शुभाचारा स्वर्गलोक महीयते ।'

18. विष्णु स्मृति, 25.14 ।

19. बृहस्पति स्मृति, 24.11 ।

20. कामसूत्र,6.2 .53 ।

21. कुमारसंभवम्,4.33.'शशिना सह याति कौमूदी सह मेद्यने तडित्प्रलीयते । प्रमदा: पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्नं हि विचैतरेनपि ।।

22. एरण शिलालेख, 'भक्तानुरक्ता च प्रिया च कान्ता, भार्यावलग्नानुगताग्निराशिम् ।'

23. वराहमिहिर, वृहत संहिता 74/16।

24. हर्षचरित, पांचवा उच्छवास ।

25. एच. एन. दुबे, *भारतीय संस्कृति*, इलाहाबाद**,2009,** पृ **273** ।

26. एपीग्राफिया इण्डिका**,20,58** ।

27. *प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेस्टर्न सर्किल*, **1906-7,** पृ **35** ।

28. राजतरंगिणी**,5.226** ।

29. वहीं**,7.103** ।

30. सत्यकेतु विद्यालंकर, पुर्वोद्धृत ।

31. याज्ञवल्क्य**,1/86** मदन परिजात, पृ186, स्मृतिमृक्ताफल, संस्कार,पृ162 ।

32. सत्यकेतु विद्यालंकर, पुर्वोद्धृत, पृ **370** ।

33. मेघातिथि की टीका, मनु स्मृति **5/156** ।

34. मृच्छकटिकम्, अंक **10** ।

35. पी.वी.काणे, *धर्म शास्त्र का इतिहास*, भाग1, पृ**350** ।

36. *पोजिशन आफ विमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन*, बनारस **1956,** पृ **129** ।

37. आईने अकबरी, *अनुवादक एच. एस. गैरेट*, कोलकाता **1891,** भाग दो पृ **191-192** ।